

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 17/2024  
दायर दिनांक :- 02.02.2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/47  
निर्णय दिनांक :- 03.06.2025

1. नबीबक्श पुत्र सरादीन जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी
2. नूरदीन पुत्र सरादीन जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी
3. मोहम्मद शरीफ पुत्र सरादीन जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तह. बाप जिला फलोदी
4. हजूर खां पुत्र सरादीन जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रार्थी

### बनाम

1. अब्दुलहकीम पुत्र हमलखां जाति मुसलमान कुरेशी नि. नुरे की भुर्ज तह. बाप जिला फलोदी
2. हसण खां पुत्र अलाना जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तह. बाप जिला फलोदी
3. हासमदीन पुत्र अलाना जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तह. बाप जिला फलोदी
4. नूरा पुत्र रेशु जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी
5. अज्योर पावर फोर्टी वन प्रा. लि. 5 वीं मंजिल साउदर्न पार्क डी-11 साकेत प्लेस नई दिल्ली
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम



- उपस्थित :-
1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलकी अधि. प्रार्थीगण
  2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप
  3. श्री सिकन्दर खां मंगलिया अधिवक्ता
- अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4

### —:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 276 रकबा 9.3887 हैकटेयर ग्राम नुरे की भुर्ज पटवार हल्का नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी (राज.) की सरहद में स्थित है। जमाबन्दी व राजस्व भू-नक्शा की वर्तमान प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त खसरा के पैमाईश आवेदन पर तहसीलदार बाप द्वारा दिनांक 30.11.2023 को जारी आदेश क्र संख्या 194 की पालना में दिनांक 22.12.2023 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर मुस्तकिल बिन्दु से पैमाईश कर मौका पर ही फर्द पैमाईश तैयार कर मौतबीरान के रूबरू प्रार्थीगण तथा पड़ोसी खातेदारान को सीमा ज्ञान करवाया


सहायक कलक्टर  
बाप (फलोदी)

गया तथा सीमा चिह्न कायम किये गये। दिनांक 22.12.2023 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण के उक्त खसरे की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हों (फर्द नजरी नक्शा) के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरे की सीमाओं पर फसल, घास, पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पट्टियां रोपकर बाड़, तारबन्दी इत्यादि करना शुरू करने पर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 द्वारा व्यवधान पैदाकर प्रार्थीगण को तारबन्दी नहीं करने दे रहे हैं। प्रार्थीगण की उक्त भूमि की बाड़, तारबन्दी नहीं हो पाने से प्रार्थीगण अपनी फसल, घास, पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर की पट्टियां रोपकर तारबन्दी, जाली नहीं कर पाने से प्रार्थीगण को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 22.12.2023 के माफिक सीमा पर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने का पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगोदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की ओर से श्री सिकन्दर खां मंगलिया ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम नुरे की भुर्ज पटवार हल्का नुरे की भुर्ज तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 276 रकबा 9.3887 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का अपने अपने हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबन्दी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि टीम गठित कर पैमाईश करवाई जाकर उसी पैमाईश अनुसार ही प्रार्थीगण की हद में पत्थरगढी किये जाने का आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम नुरे की भुर्ज पटवार हल्का नुरे की भुर्ज तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 276 रकबा 9.3887 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थीगण उक्त भूमि टीम गठित कर पैमाईश करवाई जाकर उसी पैमाईश अनुसार ही प्रार्थीगण की हद में पत्थरगढी करवाने का हकदार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

  
सहायक कलेक्टर  
बाप (फलोदी)

### आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम नुरे की भुर्ज पटवार हल्का नुरे की भुर्ज तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 276 रकबा 9.3887 हैक्टेयर की टीम गठित कर पैमाईश की जाकर पुनः पैमाईश अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गडढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



03/6/25  
 सहायक कलेक्टर (सुपरीवाइजिंग सिण्डेल, R.A.S.)  
 सहायक कलेक्टर एवं  
 बाप (फ़लोदी)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 बाप (फ़लोदी)